



राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-5

अंक : सौलवाँ

वर्ष : 2010 वि.सं. : 2066-67

बिक्री के लिये नहीं

“अधिकारों के प्रति जागरूक रहो—कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो”

अध्यक्ष—जस्टिस एन.के. जैन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय एवं दिशा—निर्देश

(माह जनवरी, 2010 से मार्च, 2010 तक)

परिवाद संख्या— 09/17/2000 में आयोग द्वारा पूर्व में पारित विभिन्न निर्देशों का उल्लेख करते हुए सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में ईलाज, साफ—सफाई, मशीनों व कलपुर्जों, ईलाज के आवश्यक सामान की उपलब्धता, प्रत्येक मंजिल पर समान दर पर जीवन रक्षक दवाईयों की उपलब्धता, ब्लड बैंक में खून की उपलब्धता सम्बन्धी पारदर्शिता, पार्किंग आदि की सुव्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव देते हुए अधीक्षक—सवाई मानसिंह चिकित्सालय, मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ—साथ माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से उचित व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई।

परिवाद संख्या— 09/02/606 में आयोग के आदेश की अनुपालना में महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार ने परिपत्र दिनांक 11.12.2010 जारी कर जेल की अव्यवस्थाओं पर ध्यान देकर तुरन्त दुरुस्त करने हेतु निर्देश दिए।

परिवाद संख्या— 07/17/2260 में कैसर पीडितों के ईलाज से सम्बन्धित मशीनों के खराब होने या पूरी तरह से काम नहीं करने पर पीडितों को होने वाली परेशानी और इन परिस्थितियों में रोगियों को भगवान महावीर कैसर अस्पताल में रेफर किए जाने के मामलों में लम्बे समय तक सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं होने पर आयोग ने इसे अधिकारियों की संवेदनहीनता का द्योतक मानते हुए तुरन्त कार्यवाही के निर्देश दिए।

परिवाद संख्या— 09/02/2447 में पुलिस विभाग से

अपेक्षा की गई कि किसी मामले के अनुसंधान के दौरान किसी के किए गये अपराध की garb में अपराधी के रिश्तेदारान या आमजन को बिना किसी कारण के परेशान और अमानवीय व्यवहार नहीं करें।

परिवाद संख्या— 09/17/1072 में व्यक्ति को पूछताछ के नाम पर गैर कानूनी तौर पर अवरुद्ध रखे जाने और मानसिक यंत्रणाएँ दिए जाने की शिकायत पर परिवाद की प्रति पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को भेजकर मुकदमा दर्ज करने और अनुसंधान के नतीजे से आयोग को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

परिवाद संख्या— 09/17/2532 में जेल परिसर में चल रही गुटबन्दी की रोकथाम और कैदियों की जेल में व पेशी पर ले जाते समय उनकी सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम करने हेतु कारागार विभाग को निर्देशित किया गया।

परिवाद संख्या— 09/17/1075 में यातायात विभाग के पुलिसकर्मी द्वारा बिना हेलमेट मोटरसाईकिल चलाने के मामले में कानि0 मूलाराम के विरुद्ध 17 सीसीए की कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया गया। आयोग ने यातायात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि वे ड्यूटी के समय स्वयं भी नियमों की पालना करते हुए कार्यवाही करें।

परिवाद संख्या— 09/17/1334 में यातायात पुलिस, नगरनिगम व जे0डी0ए0 को आपसी समन्वय से काम करते

हुए स्पीडब्रेकर बनाने सम्बन्धी कार्ययोजना बनाने और निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्पीडब्रेकर बनाने के निर्देश दिए गये।

परिवाद संख्या— 09/17/3338 में आयोग के निर्देशानुसार मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिवादी को चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाकर सूचित किया गया।

परिवाद संख्या— 09/17/2443 में आयोग के निर्देशानुसार परिवादी की पेंशन निर्धारित कर सूचित किया गया।

परिवाद संख्या— 09/17/2439 में आयोग के निर्देशानुसार परिवादी व गैरसायलान को धारा— 107, 116 (3) जा0 फौ0 के तहत इस्तगासा पेश कर न्यायालय में पेश किया गया।

परिवाद संख्या— 09/17/2847 में महानिदेशक कारागार को निर्देशित किया गया कि किसी भी कैदी के धार्मिक मामलों में संवेदनशीलता बरती जाये, ताकि कोई आहत न हो।

परिवाद संख्या— 10/17/153 में एक राजकीय चिकित्सक द्वारा रिश्वत मांगने के मामले में प्रिंसिपल एसएमएस कॉलेज को कानूनसम्मत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

परिवाद संख्या— 08/25/189 में सफाई कर्मचारी थाना— मेडता सिटी का मासिक पारिश्रमिक 75/— रुपये से बढ़ाकर 480/— रुपये किया जाकर आयोग को सूचित किया गया।

परिवाद संख्या— 09/25/2417 में बलात्कार पीडिता के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 100,000/— रुपये स्वीकृत करवा कर व उसमें से 50000/— रुपये तुरन्त देकर आयोग को सूचित किया गया।

परिवाद संख्या—8/24/3162 में कोटा शहर की रिहायशी कॉलोनियों सहित पूरे प्रदेश के शहरों में की जा रही स्क्रीन प्रिंटिंग के कार्य को बन्द करवाने हेतु आयुक्त कोटा नगर निगम व सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को निर्देशित किया गया।

विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं/एन.जी.ओ. द्वारा आयोजित मानव अधिकारों की जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों में आयोग के माननीय

अध्यक्ष द्वारा शिरकत करने के साथ-साथ मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बाबत चर्चा की गई, जिनमें से कुछ निम्नांकित है :-

दिनांक— 03.01.2010 को Progressive Muslim Social Circle द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पैटरन जस्टिस मोहम्मद यामीन, अध्यक्ष ए0आर0 खान, के0एल0 जैन (चैम्बर ऑफ कामर्स), सचिव मोहम्मद शमीम अन्य पदाधिकारियों, सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली महिलाओं व अन्य उपस्थित महानुभावों के साथ।

दिनांक— 09.01.2010 को 19th Blinds' Music Competition 2010 में श्रीनथमल निर्मल कुमार गंगवाल (आसाम होटल), श्रीमती वन्दना जैन (समाज सेविका), रूकमणी जैन (अध्यक्षा, श्याम नगर दिगम्बर जैन महिला मण्डल), संस्था के अध्यक्ष, सचिव, विभिन्न प्रतियोगी, श्रोतागण व अन्य महानुभावों के साथ।

दिनांक— 12.01.2010 को भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ., द्वारा नई दिल्ली, तिहाड़ जेल) में आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्री सी.आर. गर्ग (डीआईजी), संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी, डॉ. आर.बी. सोलंकी, वी.के. मित्तल, मेडम रीता वाची व अन्य पदाधिकारीगण, सम्मानित प्रबुद्ध शिक्षाविद् व कैदियों के साथ।

दिनांक— 26 जनवरी 2010 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री दिगम्बर जैन आदर्श महिला संस्कृत महाविद्यालय श्रीमहावीरजी आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्री सोहनलाल सेठी (अध्यक्ष), सुमेर चन्द जैन (मंत्री), नरेन्द्र कुमार जैन, प्राचार्य रामचरण जी, संजय, अन्य ट्रस्टीगण, पदाधिकारीगण, छात्राओं, अभिभावकों व उपस्थित महानुभावों के साथ।

दिनांक— 27 जनवरी 2010 को महारानी कॉलेज, जयपुर प्रिंसिपल श्रीमती कुसुम जैन, उपस्थित शिक्षकगण, व विभिन्न कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ।

दिनांक— 28.1.2010 को विद्या आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्री न्यायाधिपति पानाचन्द जी, विमल जी सुराणा, आर0 के0 जैन, मिसेज गोलेछा, डॉ. बत्रा, प्रिंसिपल मैडम, अध्यापक बन्धु, पेरेन्ट्स, ट्रस्टीगण व उपस्थित अन्य महानुभावों के साथ।

दिनांक 8 फरवरी 2010 को भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्री नरोत्तम मल जी कोठारी, मैडम अनिला कोठारी, कैंसर केयर की संरक्षिका मेडम सुनीता गहलोत, E.T.V. के जगदीश कातिल, मैडम दूरुमिया, डॉ. कर्नल चतुर्वेदी, तुषार कपूर, मेयर, श्रीमती पद्मनी देवी महारानी साहिबा, डॉ. महेन्द्र सुराना व अन्य महानुभावो।

दिनांक 9 फरवरी 2010 को 'कोशिश' संस्था व जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मैडम शशि कपूर (अध्यक्षा), सुषमा गोविल (उपाध्यक्ष), कमल पनगडिया (सचिव), व अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के साथ।

दिनांक— 11.2.2010 को श्रीमती धन्नी देवी सेठिया धार्मिक भवन, नोखा के लोकार्पण समारोह में श्री सुन्दरलाल दुगड (अध्यक्ष श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ), श्री कन्हैयालाल झंवर (विधायक, नोखा), नेमचन्द जी खजांची, कमल चन्द जी सिंपानी, श्रीनिवास झंवर, कुसुम कुमार सेठिया, चेतन प्रकाश सेठिया (अध्यक्ष), सुन्दरलाल बोथरा, दुलीचन्द चोरडिया, ईश्वरचन्द बैद, राजेश कुमार डागा, अशोक कुमार डागा, न्यासीगण विद्यार्थी व उपस्थित महानुभावों के साथ।

दिनांक— 13.2.2010 को राजस्थान पेंशनर समाज देव नगर शाखा द्वारा आयोजित कार्यक्रम व मा. तेजकरण जी डांडिया सम्मान समारोह में राज्य के अध्यक्ष दिनेशचन्द्र गुप्ता, अध्यक्ष राजेन्द्र राज मेहता व राधेशरण माथुर, बसन्तीलाल छाबडा, संगठन मंत्री श्रीपाल जैन, एन.एल. महावर व अन्य वरिष्ठ नागरिकों के साथ।

दिनांक— 21.2.2010 को सन्तोकबा दुर्लभ जी अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में श्री विमलचन्द सुराना, श्री त्रिलोकीनाथ खण्डेलवाल, श्री डी.सी. गुप्ता, एन.एम. राका अन्य पदाधिकारी व वरिष्ठ नागरिकों के साथ।

दिनांक— 25 फरवरी 2010 को स्टेट फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसियेशन, भीलवाडा द्वारा आयोजित 'नागरिकों के मानवाधिकार और कर्तव्य' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में जनरल सेक्रेट्री श्री श्याम बनवाडी व अन्य सदस्यगण।

दिनांक— 6 मार्च 2010 को दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर व Institute of Pera Legal Studies, Ahemdabad

द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'न्याय उपलब्ध कराने में पैरा लीगल्स की भूमिका' में न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भण्डारी, इंस्टीट्यूट की मैडम नुपुर सिन्हा,, सर्वश्री पी0एल0 मीमरोठ, आर0 के0 आकोदिया, सतीश कुमार, गोपाल वर्मा व राज्य भर से आये करीब 60 प्रतिनिधियों के साथ।

दिनांक— 16 मार्च 2010 को डिपार्टमेन्ट ऑफ लॉ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में प्रो0 यू0सी0 सांखला, प्रो0 करकरा, डा0 एस0पी0एस0 शेखावत, केरल यूनिवर्सिटी के एचओडी श्री के0सी0 सुन्नी, अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्ति एवं लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ।

दिनांक— 22 मार्च 2010 को टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई के छात्र प्रतिनिधियों के साथ चर्चा।

27 मार्च, 2010 जैन सोशल ग्रुप महानगर "अहिंसा व जन चेतना रेली" में मंत्री मा. अशोक बैरवा, संजय बाफना, राजाराम मील, मेयर, विधायक, वकील बन्धु व सन्तकुमार संयोजक सिद्धार्थ, प्रदीप व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ।

आयोग के माननीय सदस्य जस्टिस जगत सिंह ने किशनगढ़ (अजमेर), किन महाविद्यालय—बीकानेर में छात्रों व टिब्बी, धौलीपाल, खैरुवाला व हनुमानगढ़ जंक्शन में आमजन को तथा थाना—संगरिया (जिला—हनुमानगढ़) का आकस्मिक निरीक्षण किया।

मानवाधिकारों से सम्बन्धित विषय सामग्री का जनहित में प्रकाशन :—

भीलवाडा जिला यूनेस्को एसोसियेशन के त्रिदशक समारोह— 2009 के Souvenir में 'महिलाओं के कानूनी अधिकार' बुकलेट का प्रकाशन किया गया व राजस्थान जैन सभा की स्मारिका में 2010 तथा 'लोक उजास' (Soveneir) में आर्टिकल—51ए में उल्लेखित कर्तव्य प्रकाशित।

भारतवर्षीय दि. जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, मुम्बई तथा राजस्थान पॉलिटिकल कॉलेज, चुरु व सबल सेवा संस्थान, द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार व गिरफ्तारी बुकलेट्स का कन्सोलिडेट संस्करण व मानवाधिकार व कर्तव्य का लेख, छपवा कर वितरित कराया।

सहायक श्रम कमिश्नर श्री जीवराज सिंह ने बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत बालिकों के अधिकार पुस्तक का प्रकाशन करवाया।

आर्टिकल- 51-ए में निहित कर्तव्यों की जागरूकता कार्यक्रम :-

मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ-साथ आमजन में कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल- 51ए की मंशा के अनुरूप संकल्प के लिए शुरु की गई मुहिम के तहत विभिन्न स्कूलों व संस्थाओं द्वारा सुबह की प्रार्थना के समय संकल्प दोहराया जा रहा है। अन्य कई स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अपने कार्यक्रमों के साथ आर्टिकल- 51ए का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। जिनमें से पूर्व में करीब 99 संस्थाओं के साथ निम्न ने आयोग को इस संकल्प के प्रचार-प्रसार की सूचना दी है, जो प्रशंसनीय है। कुछ संस्थाओं ने इस त्रैमास में भी संकल्प दोहराने के साथ-साथ आयोग द्वारा तैयार की गई सी0डी0 अपने कार्यक्रम में प्रदर्शित करने की सूचनाएँ दीं हैं।

इनके अलावा इस त्रैमास में भी विभिन्न संस्थाओं ने स्वयं के सौजन्य से आर्टिकल-51ए का प्रारूप छपवाने के दिशा-निर्देश व कुछ निम्न संस्थाओं ने छपवाकर वितरित किये:-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. The Little Pixies School द्वारा पेम्पलेट Admission Notice के साथ वितरित किये।
3. दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान, जयपुर।
4. लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान।
5. देश और व्यापार बीकानेर से प्रकाशित पाक्षिक पत्रिका।
6. निदेशक पुलिस एकडेमी, नेहरू नगर, जयपुर।
7. दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी, करौली।

8. Children's Educational Society, Bhilwara.

9. माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन, बझेरा (भरतपुर)।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली एवं राजस्थान पुलिस एकेडमी, जयपुर के सहयोग से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम :-

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर ने एनएचआरसी नई दिल्ली और राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के सहयोग से दिनांक 5.3.2010 को Police & Protection of Human Rights एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जिसमें कुल 80 व्यक्तियों, जिसमें 37 ट्रेनर्स, 18 रिसोर्स पर्सन्स के अलावा आमंत्रित महानुभावों, एनजीओ/ प्रेस प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रिसोर्स पर्सन्स के रूप में एनएचआरसी के संयुक्त सचिव सर्वश्री जे0पी मीणा, महानिदेशक पुलिस श्री एच0सी0मीना, पुलिस महानिरीक्षक श्री पी0के0 सिंह, पुलिस अधीक्षक (जयपुर दक्षिण) श्री जोस मोहन, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री एस0पी0 जैन, तिहाड जेल के एनजीओ श्री रामकृष्ण गोस्वामी, पूर्व राज्यपाल जस्टिस एन0एल0 टिबरेवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस0आर0 बाजवा, न्यायमूर्ति श्री आर0एस0 राठौड, के अलावा राजस्थान राज्य के मा. जेल मंत्री श्री रामकिशोर सैनी, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यगण ने विभिन्न विषयों पर ट्रेनीज से संवाद व आवश्यक जानकारियाँ दीं। कार्डिनेटर श्री यशपाल त्रिपाठी, उपाधीक्षक (पुलिस) ने कार्यक्रम का संचालन किया।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मुख दिनांक 1.1.2010 को 1127 प्रकरण शेष थे। 2 माह में नये परिवाद 448 आये तथा नये व पुराने कुल 591 प्रकरणों का निस्तारण करने के बाद आयोग के सम्मुख दिनांक 28.2.2010 को 982 प्रकरण शेष रहे।

नव सठवत्सर, 2067 की हार्दिक शुभकामनाएँ

अध्यक्ष- न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, सदस्यगण- जस्टिस जगत सिंह, श्री डी.एस. मीणा एवं श्री पुखराज सिरवी, सचिव एन.आर. यादव, महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।

सम्पादक : उप-सचिव, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, जयपुर, फोन: 0141-2227738

E-mail : rshrc@raj.nic.in Website : www.rshrc.nic.in, www.justicenagendrakjain.com Fax : 0141-2227738

Book
Post